How to see your health records (Hindi version)

अपने वा य के रकाड आप कैसे देख

सं करण 4

अ ैल 2009 म तैयार कया गया

पुनर ण तिथि फ़रवर 2012

यह पु तका कसके लिए है?

यह उन लोग के लिए है जो कॉटलड म रा ीय वा य सेवा (National Health Service) (NHS) का उपयोग करते ह। निजी वा य सेवाओं का उपयोग करने वाले लोग अपने वा य के रकाड देख सकते ह, ले कन इस पु तका म केवल यह बताया गया है क NHS म यह कैसे कया जाता है।

यह पु तका कस बारे म है?

यह आपको बताती है:

- आपके वा य का रकाड या होता है
- अपने वा य के रकाड को देखने के लिए आवेदन कैसे द
- आवेदन कौन दे सकते ह, और
- य द आप अपने वा य के रकाड देखने के आवेदन को लेकर असंतु ह तो आपको या करना चा हए।

यह पु तका कसलिए तैयार क गई है?

यह इसलिए तैयार क गई है क आपको अपने वा य के रकाड को देखने और उसक ति ा करने के अधिकार के बारे म बताया जा सके।

मेरे वा य के रकाड या ह?

ये ऐसे रकाड होते ह जनम आपके वा य और आपके ारा करवाई गई कसी देखभाल या उपचार के बारे म जानकार होती है। उदाहरण के लिए, ये पर ण और कैन के प रणाम , ए स-रे या NHS टाफ को लिखे गए अथवा उनसे मिले प हो सकते ह।

म अपने वा य के रकाड य देखूँ?

आपने जो उपचार कराया है आप उसके बारे म अधिक जानना या यह जांच करना चाह सकते ह क आपक जानकार सह है। यह आपक मज है क आप इ ह देखना चाहते ह या नह ं, और इसके लिए आपको शु क भी देना पड़ सकता है।

मेरे वा य के रकाड कैसे और कहां रखे जाते ह?

- रकाड को कागज पर लिखकर या कं यूटर म दज करके, या दोन ह प म, रखा जा सकता है।
- रकाड NHS के वभि न भाग ारा रखे जाते ह। उदाहरण के लिए, आपक GP surgery और जस कसी अ पताल म आप भत रहे ह , वहां आपके बारे म रकाड रखे जा सकते ह।
- आपके रकाड केवल एक नि त समय के लिए ह रखे जा सकते ह, जसके बाद उ ह न कया जा सकता है। NHS के पास इस बारे म दशानिदश ह क उसे वा य के रकाड अपने पास कतने समय तक रखने चा हए। य द आप इस बारे म अधिक जानकार ा करना चाहते ह, तो जस थान पर आपके रकाड रखे गए ह उस थान के भार य से बात कर। आपक GP surgery म यह य संभवत: ै टस मैनेजर होगा, और अ पताल म यह संभवत: रकाड मैनेजर होगा।
- यह मह वपूण है क आपके रकाड अ तन रखे जाएं। आपक य गत जानकार (उदाहरण के लिए, आपका पता या फोन नंबर) म प रवतन होने पर, या य द आप लंबे समय तक यू.के. से बाहर रहने वाले ह , आपको NHS टाफ को जानकार देनी चा हए।

आपक Emergency Care Summary (आपातकालीन देखभाल का सारांश)

कॉटलड म अधिकांश मर ज को अब Emergency Care Summary ा है। यह आपके वा य के बारे म बुनियाद जानकार होती है जो टाफ के लिए तब मददगार हो सकती है जब आपक GP surgery बंद हो, या आप accident and emergency (A&E) (दुघटना तथा आपात थति) वभाग म जाएं और आपको अ याव यक चि क सीय देख-भाल क ज रत हो।

आपको अपनी Emergency Care Summary देखने का अधिकार है। य द आप ऐसा करना चाहते ह, तो अपने GP से या अपनी GP surgery के ै टस मैनेजर से कह।

अधिक जानकार के लिए, **'Your Emergency Care Summary – What does it mean for you?'** पु तका देख। इसक ति आप अपनी GP surgery से, NHS Helpline (NHS हे पलाइन) को 0800 22 44 88 पर फोन करके या इंटरनेट पर www.hris.org.uk पर ा कर सकते ह।

अपने वा य के रकाड देखने के लिए मुझे कससे कहना चा हए?

- आप अपने रकाड देख सकते ह और, य द आप चाह, तो इनक ति भी ा कर सकते ह।
- आपको अपने सभी रकाड को नह देखना हो या उनक तियां ा नह करनी ह - आप उनके कुछ अंश के लिए कह सकते ह। आप या देखना चाहते ह इसक पहचान करवाने म मदद करने के लिए आपको जानकार देनी पड़ सकती है।
- य द आप अपनी देखभाल कर रहे NHS टाफ के कसी सद य से कह, तो वे आपको आपके रकाड दखा सकते ह या आपको यह कह सकते ह क ऐसा करने के लिए दुबारा आएं। हालां क, जब तक आप लि खत प म नह कहगे तब तक टाफ के लिए आपको रकाड दखाना ज र नह होता।
- लि खत प म कहने के लिए अपनी GP surgery के ॅ टस मैनेजर, या अ पताल के रकाड मैनेजर या आपके रकाड रखने वाले अ य NHS संगठन को प भेज। प म आपको बताना चा हए क:
  - आप सिफ अपने रकाड देखना चाहते ह या उनक ति भी लेना चाहते ह
  - आपको अपने पूरे रकाड चा हए या उनका कोई अंश ।
- आपको एक आवेदन-प भरने और अपनी पहचान का माण देने क ज रत पड़ सकती है।
- आपको यह बताना चा हए क या आपको रकाड कसी ऐसे ा प म चा हए जो आपक ज रत को पूरा कर सके। जहाँ भी संभव हो यह कया जाएगा।
- आपको अपने वा य रकाड को देखने क इ छा के लिए कोई कारण बताने क ज रत नह होती है।

मेरे वा य के रकाड को देखने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

- सामा यत:, य द आप यह समझ सकते ह क अपने रकाड देखने के लिए कहने हेतु या करना पड़ता है, तो आप आवेदन कर सकते ह।
- कोई अ य य आपके रकाड देखने के लिए आवेदन दे सकता है य द आप वय क ह और:
  - इसक सहमति देते ह, या
  - आप अपने बारे म निणय नह ले सकते या दूसरे लोग को अपने निणय नह बता सकते। इस मामले म, कोई ऐसा य जसके पास वे फेयर पावर ऑफ अटन हो या वे फेयर गा जयनशिप ऑडर हो, आपके रकाड देखने के लिए कह सकता है।
- य द आप ब चे ह:
  - तो आपके माता- पता का दायि व निभाने वाला कोई य आपके रकाड देखने के लिए आवेदन दे सकता है, ले कन सामा यत: सिफ तभी जब आप इसके लिए सहमत ह
  - य द आप इसक आव यकताओं को नह समझते, तो आपके माता- पता, अभिभावक, या मु य देखभालकता आपके रकाड देखने के लिए आवेदन कर सकता है।

य द म अपने रकाड दखाने के लिए कहूं, तो मुझे या दखाया जाएगा?

- य द आप अपनी GP surgery या अ पताल म अपने रकाड देखगे तो संभव है क कोई य रकाड देखते समय आपके साथ हो। आप जो देखगे वह कोई पेपर फाइल, कं यूटर टआउट या फोटोकापी हो सकती है।
- य द आप ति के लिए कहते ह तो आपको कं यूटर टआउट या फोटोकापी द जा सकती है।

- NHS टाफ को चा हए क वह ऐसी श दावली या उन श द को प करे, जो आप न समझते ह ।
- आपके रकाड म से कुछ जानकार छिपाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, आप ऐसी जानकार नह देख सकगे जो:
  - आपके या कसी और के शार रक या मानसिक वा य के लिए गंभीर नुकसान पैदा करती हो।
  - कसी अ य य क पहचान बताती हो (NHS टाफ के उन सद य के अलावा ज ह ने आपका इलाज कया है), जब तक वह य अनुमति न दे।
- अगर जानकार आपसे छिपाई गई है तो NHS टाफ के लिए आपको यह बताना ज र नह है। य द आप सोचते ह क आपसे जानकार छिपाई गई है और आप इसे लेकर असंतु ह, तो पृ ठ 5 पर 'य द अपने वा य रकाड देखने के आवेदन को लेकर म असंतु हूं तो मुझे या करना चा हए?' देख।
- जब कसी और को आपके रकाड देखने क अनुमति द गई हो, तो वह य ऐसी जानकार नह ा कर सकेगा जसके लिए आपने NHS टाफ से कहा हो क वह जानकार उस य को न द जाए।

इसके लिए कतना खच होता है?

- कं यूटर पर सहेजे गए वा य रकाड देखने के लिए आपको £10 तक का भुगतान करना पड़ेगा।
- य द आप पूरे या आंशिक रकाड क एक ति चाहते ह तो आपको £50 तक का भुगतान करना पड़ेगा। खच जानकार क मा ा और इस पर निभर करता है क या उसम ऐसे द तावेज़ ह जैसे – ए स-रे जनक कापी क जानी हो।
- य द आपके वा य रकाड कागज पर ह और पछले 40 दन म शामिल कए गए ह, तो सिफ उ ह देखने के लिए आपको कोई भुगतान नह करना होगा। ले कन कोई ति ा करने के लिए आपको भुगतान करना होगा।

मेरे आवेदन करने के बाद इसम कतना समय लगेगा?

आपके ारा NHS टाफ को अपनी और अपने रकाड क पहचान क पया जानकार देने और शु क चुकाने के बाद आपको 40 दन के भीतर जानकार मिल जाएगी।

य द मुझे लगता है मेरे वा य के रकाड क जानकार गलत है तो या होगा?

य द आप सोचते ह तो आपके रकाड म द गई जानकार गलत है तो पहले आप सेवा दान कर रहे NHS टाफ से बात कर। इसके बाद या कया होगा यह इस बात पर निभर करता है क NHS टाफ इस जानकार को सह मानता है या गलत।

- य द वे तय करते ह क जानकार गलत है तो वे उस पर एक आड़ रेखा खींच दगे ता क लोग फर भी उसे पढ़ सक और देख सक क इसम सुधार कर दया गया है। वे आपके रकाड के साथ यह प करते हुए एक ट पणी भी लगाएंगे क ऐसा य कया गया है।
- य द वे तय करते ह क जानकार सह है, तो वे इसे नह बदलगे। हालां क आप अपने रकाड म यह प करते हुए ट पणी लगाना चुन सकते ह क आप ऐसा य मानते ह क वह जानकार गलत है।

आम तौर पर, जब तक कोई अदालत आदेश न दे आपके रकाड से जानकार नह हटाई जा सकती है। आपक देखभाल और इलाज के संबंध म पूव के निणय को समझने के लिए NHS टाफ को आपके पूरे रकाड क ज रत होती है।

या म मुआवजे का दावा कर सकता/सकती हूं?

आप मुआवजे क मांग कर सकते ह य द आपको नि न कारण से कोई शार रक, मानसिक या व ीय ति हुई हो:

- आपके रकाड म जानकार सह नह है
- आपक जानकार दुघटनावश गायब हो गई हो, ति त हो गई हो या न हो गई हो, अथवा बना अनुमति के कट क गई हो।

या म कसी ऐसे य का वा य रकाड देख सकता/सकती हूं जसक मृ यु हो चुक है?

- कानून आपको 1 नवंबर, 1991 के बाद तैयार कए गए रकाड को देखने क अनुमति देता है। ले कन सामा यत:, मृ यु के बाद केवल तीन साल तक रकाड रखे जाते ह।
- आप उस य के रकाड तभी देख सकते ह य द आप उसके य गत तिनिधि या काया वक ह, अथवा आपके पास उस य क मौत के कारण मुआवजे का दावा बनता हो। य द आप मुआवजे का दावा कर रहे ह, तो आप केवल ऐसी सूचना देख सकते ह जो उस दावे से संबंधित हो।
- आप ऐसी जानकार नह देख सकगे जो:
  - आपके या कसी अ य य के शार रक या मानसिक वा य के लिए गंभीर नुकसान पैदा करती हो।
  - कसी अ य य (NHS टाफ के उन सद य के अलावा ज ह ने रोगी का इलाज कया है),क पहचान बता सकती हो, जब तक क उस य ने अनुमति न द हो।
- आप कसी ऐसे य का रकाड नह देख पाएंगे जसने साफ बता दया हो क वह नह चाहता क उसक मृ यु के बाद उसके रकाड को अ य य देख।

य द अपने वा य रकाड देखने के आवेदन को लेकर म असंतु हूं तो मुझे या करना चा हए?

- जस थान पर आपके रकाड रखे रखे हुए ह उस थान के भार य से बात करने के लिए पूछ। आपक GP surgery म यह य संभवत: ` टस मैनेजर, और अ पताल म संभवत: रकाड मैनेजर होगा।
- ‘**NHS के वषय म शिकायत कैसे कर**’ पु तका म बताया गया है क यह कैसे कर। इसक ति कहां से ा कर यह जानने के लिए पृ 7 - 8 देख।
- य द आपने शिकायत क है ले कन NHS ारा शिकायत पर कारवाई करने के तर के से संतु नह ह तो आप Information Commissioner’s Office (सूचना आयु के कायालय) को शिकायत कर सकते ह। यह आप तभी कर सकते ह जब आपने पहले ह NHS Complaints Procedure (NHS क शिकायत या) का उपयोग कर लिया हो। Information Commissioner’s Office (सूचना आयु के कायालय) से संपक कैसे कर, इसके लिए पृ 6 देख।

अधिक जानकार कैसे ा कर

- इस पु तका म कसी भी चीज के बारे म अधिक जानकार के लिए, नि नलि खत से संपक कर:

    - आपक देखभाल से जुड़े NHS टाफ के कसी सद य से
    - NHS Helpline **0800 22 44 88** (textphone (टे टफोन) 18001 0800 22 44 88) पर। हे पलाइन पर क गई कॉल नि:शु क होती ह और यह कसी दुभा षया क सेवा दान कर सकती है
    - आपके थानीय citizens advice bureau (नाग रक सलाह यूरो) से (इंटरनेट पर **www.cas.org.uk** से अपने नज़द क द तर का पता लगाएं या अपनी थानीय फोन बुक म देख)।
    - **Information Commissioner's Office – Scotland**
      93–95 Hanover Street
      Edinburgh EH2 1DJ
      फोन **0131 301 5071**
      ईमेल **Scotland@ico.gsi.gov.uk**
      वेबसाइट **www.ico.gov.uk**

- य द आप अपने लिए निणय नह ले सकते या दूसरे लोग को अपना निणय बता नह सकते, तो इसे incapacity (असमथता) कहा जाता है। Adults with Incapacity (Scotland) Act के वषय म जानकार के लिए नि नलि खत से संपक कर:

  The Office of the Public Guardian( )
  Hadrian House
  Callendar Business Park
  Callendar Road
  Falkirk FK1 1XR
  फोन **01324 678 300**
  ईमेल **opg@scotcourts.gov.uk**
  वेबसाइट **www.publicguardian-scotland.gov.uk**

- मानसिक रोग या वकार से पी ड़त लोग के अधिकार के वषय म और अधिक जानकार के लिए, **Mental Welfare Commission for Scotland** (कॉटलड के मानसिक क याण आयु) से संपक कर। वे आपको Adults with Incapacity Act (असमथता वाले वय क अधिनियम) के अंतगत लोग के अधिकार के बारे म जानकार और सलाह दे सकते ह।

  Mental Welfare Commission for Scotland
  Thistle House
  91 Haymarket Terrace
  Edinburgh EH12 5HE
  फोन **0131 313 8777**
  इस सेवा का उपयोग करने वाल और देखभाल करने वाल के लिए मु त फोन नंबर: **0800 389 6809**
  वेबसाइट **www.mwcscot.org.uk**

- कानून का ब च और युवा लोग पर कैसा   भाव पड़ता है इस वषय म अधिक जानकार के लिए नि नलि खत से संपक कर:

  The Scottish Child Law Centre (कॉ   )
  54 East Crosscauseway
  Edinburgh EH8 9HD
  सूचना हे पलाइन **0131 667 6333**
  नि:शु क फ़ोन नंबर **0800 328 8970** (18 से कम आयु के लोग के लिए)
  मु त टे   ट पूछताछ सेवा : 'SCLC' के बाद अपना   लिखकर **80800** पर टे   ट भेज। उ र आपके मोबाइल फ़ोन पर भेजे जाएंगे)
  ईमेल **enquiries@sclc.org.uk**
  वेबसाइट **www.sclc.org.uk**

- य द आप अपने   वा   य रकाड देखना चाहते ह और कसी GP के पास पंजीकृत नह ं ह, या अब   कॉटलड म नह ं रहते ह, तो NHS National Services Scotland (नेशनल स वसेज़   कॉटलड) के Practitioner Services Division (ै   टशनर सेवा वभाग) से उनके तीन   थानीय कायालय म से कसी से संपक कर:

  - एबरड न कायालय (Aberdeen office) - फोन **01224 358 400**
  - ए डनबग कायालय (Edinburgh office) – फोन **0131 537 8473**
  - ला गो कायालय (Glasgow office) – फोन **0141 300 1300**

वा   य अधिकार के बारे म जानकार

- **NHS और आप** (NHS and You) म बताया गया है क   कॉटलड म आप NHS से   या आशा कर सकते ह, और NHS आपसे   या आशा करती है।
- **गोपनीयता – यह आपका अधिकार है** (Confidentiality – it's your right) म बताया गया है   क NHS आपक निजी   वा   य सूचना क र   ा कैसे करती है
- **NHS के वषय म शिकायत कैसे कर** (Making a complaint about the NHS) म बताया गया है क आप NHS क   शिकायत   या का उपयोग करते हुए शिकायत कस   कार कर सकते ह।
- **अनुमति – यह आप का निणय है** (Consent – it's your decision) म बताया गया है क आपको अपने   वा   य क देखभाल और चि क सा के वषय म निणय लेने म कैसे शामिल होना चा हए।
- **वदेशी मर ज के लिए   वा   य देखभाल** (Health care for overseas visitors) यह एक त यप   शृंखला है जसम बताया गया है क   कॉटलड म ठहरने के दौरान वदेशी पयटक कौन-सी NHS सेवाएं   ा   करने क अपे   ा कर सकते ह।

युवा लोग के लिए सूचना

- **अनुमति – आपका अधिकार** (Consent – your rights) म बताया गया है क आपको अपने वा य क देखभाल और चि क सा के वषय म निणय लेने म कैसे शामिल होना चा हए।
- **गोपनीयता – आपके अधिकार** (Confidentiality – your rights) म बताया गया है क NHS आपक निजी वा य जानकार को क र ा कैसे करती है।
- **अपनी बात कह! कहने का आपका अधिकार** (Have your say! Your right to be heard) म बताया गया है क अपना फ डबैक कस तरह द या NHS के बारे म शिकायत कैसे कर।

देखभाल करने वाल के लिए जानकार

- - (Caring and consent) म उस वय क के वा य क देखभाल के निणय म शामिल होने के आपके अधिकार के बारे म बताया गया है जसक देखभाल आप करते ह (मई 2009 से उपल ध)।

यह सूचना आप यहां से ा कर सकते ह:

- GP surgeries, अ पताल और उन दूसरे थान से जहां से आपको NHS देखभाल ा होती है
- NHS Helpline से **0800 22 44 88** पर (textphone (टे टफोन) 18001 0800 22 44 88)
- **www.hris.org.uk**
- अपने citizens advice bureau (थानीय नाग रक सलाह यूरो) से (इंटरनेट पर **www.cas.org.uk** से अपने नज़द क द तर का पता लगाएं या अपनी थानीय फोन बुक म देख)।

कृपया अपनी ट प णयां भेज!

हम जानना चाहते ह क आप इस पु तका के बारे म या सोचते ह।

कृपया अपनी ट प णयां भेज :

- HRIS, Consumer Focus Scotland, **FREEPOST GW5277**, Glasgow G1 3BR को डाक से
- हम **hris@scotconsumer.org.uk** पर ईमेल भेजकर
- हमार वेबसाइट **www.hris.org.uk** पर जाकर और 'contact us' लिंक पर लक करके, या
- हम **0141 226 5261** पर फोन करके।

हमार यह पूर कोशिश रह है क हम यह सुनि त कर क इस पु तका म द गई जानकार सह है। तथा प, यह पु तका केवल मागदशन के लिए है इसलिए आप इसे कानून का पूरा कथन समझ कर इस पर निभर न कर। य द आप कानूनी कायवाह करने का वचार कर रहे ह, तो आपको कसी वक ल, citizens advice bureau या सलाह देने वाली कसी दूसर एजसी से संपक करना चा हए।

इसे Health Rights Information Scotland ारा काशित कया गया है, जो Scottish Government Health Directorates के लिए, Consumer Focus Scotland क एक प रयोजना है।

यह जानकार कसी दूसर भाषा या व प म ा करने के लिए अपने थानीय NHS बोड को फोन कर। य द इसके लिए आपको सहायता क आव यकता है तो NHS Helpline से 0800 22 44 88 पर संपक कर (textphone 18001 0800 22 44 88)।

www.hris.org.uk